प्रतिलिपि आदेश दिनांक 25–2–16 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 3304–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–9–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पांढुरना जिला छिंदवाड़ा प्रकरण कमांक अपील 12/अ–68/14–15.

———

1– नितिन पिता गौरीशंकर बेहुने
उम्र लगभग 35 वर्ष

2– अश्विन पिता गौरीशंकर बेहुने
उम्र लगभग 32 वर्ष

दोनों निवासी तारबाजार पांढुरना
तहसील पांढुरना जिला छिंदवाड़ा म0प्र0 ——— आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ——— अनावेदक

———

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 3304-एक/15 जिला - छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, पांढुरना जिला छिंदवाड़ा द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 12/अ-68/14-15 में पारित आदेश दिनांक 15/9/2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए आवेदक द्वारा 0.002 है0 पर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध मानते हुए उस पर प्रचलित गाइडलाईन के आधार पर बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत राशि 240856/- अर्थदण्ड आरोपित करते हुए उसे अतिक्रमित क्षेत्र से बेदखल करने के आदेश दिए गए हैं । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा मौजा बम्हनी प.ह.नं. 53 पुराना 27 रा.नि.मं. एवं तहसील पांढुरना जिला छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 217/27 रकबा 0.035 हैक्टर में से 0.012 हैक्टर (22x60=1320 वर्गफुट) भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से दिनांक 18-1-13 को विणा बेन पति स्व. श्री नवीन भाई शाह आदि से क्रय की गई है साथ ही आवेदकों द्वारा उपरोक्त विक्रेताओं से एक अनुबंध पत्र दिनांक 11-6-13 को निष्पादित किया गया है जिसमें उनके द्वारा खसरा नं. 217/27 रकबा 0.23 हैक्टर में से 0.010 हैक्टर (18 x60=1080 वर्गफुट) भूमि क्रय करने का अनुबंध किया गया है । अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदकों द्वारा क्रय की गई एवं अनुबंधित भूमि पर निर्माण किया गया जिसकी शिकायत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना भूमि की माप किए नजरी नक्शा के आधार पर प्रस्तुत	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

प्रतिवेदन को आधार मानते हुए आदेश पारित किया गया जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने जिला स्तर की टीम का गठन किया जाकर मौके का सीमांकन कराया गया जिस पर खसरा नं. 207 शासकीय भूमि जो कि शासकीय अभिलेख में नाले के रूप में दर्ज है के 0.02 हैक्टर पर मुरम पत्थर डालकर रोड निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना प्रतिवेदित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी ने इसी प्रतिवेदन को आधार मानकर आदेश पारित किया गया है जबकि प्रकरण में एक अन्य प्रतिवेदन दिनांक 27-8-2014 का संलग्न है जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा लेख किया गया है कि उक्त शासकीय भूमि के मिसल शीट तथा चालू नक्शा सीट का मिलान किया गया । मिसल शीट के अनुसार रेल्वे की सीमा से मिलान करने पर चालू शीट में दर्शित भूमि आवेदकों की भूमि उत्तर पश्चिम कोना के आगे नाला भूमि पर डेस'-डेस तक खसरानं. 217/27 का भाग बतलाता है । अगर मिसल शीट के अनुसार चालू शीट में सुधार किया जाता है तो आवेदकों द्वारा की गई नाला भूमि रकबा 0.002 हैक्टर अतिक्रमण वाला भाग विणा बेन पति नवीन शाह की भूमि खसरा नं. 217/27 का भाग होगा जो स्पष्ट करता है कि आवेदकों द्वारा विणा बेन की भूमि पर मुरम बोल्डर डालकर रोड निर्माण किया गया है तथा उक्त भूमि को आवेदकों द्वारा विणा बेन से क्रय करने का अनुबंध भी किया गया है । राजस्व निरीक्षक का उक्त प्रतिवेदन क्यों कर मान्य नहीं है इसका कोई उल्लेख अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में नहीं दिया गया है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में भी बल है कि उनके द्वारा अपने निजी लाभ के लिए भूमि पर मुरम एवं बोल्डर नहीं डाले गये हैं बल्कि आमजन की सुविधा के लिए प्रश्नाधीन भूमि 0.002 हैक्टर पर मुरम एवं बोल्डर डालकर भूमि को समतल कर कच्चा रास्ता आम जन के लिए बनाया गया है, जो सुखाधिकार के तहत है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि से लगी हुई भूमि पर मुरम पत्थर डालकर किए गए कच्चे निर्माण को अतिक्रमण मानते हुए अर्थदण्ड लगाना न्यायोचित नहीं है । दर्शित परिस्थिति में एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकों पर अर्थदण्ड आरोपित कर उन्हें प्रश्नाधीन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला - छिंदवाड़ा

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 3304-एक/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमि से बेदखल करने संबंधी निर्देश देकर प्रकरण प्रत्यावर्तित करना न्यायसंगत नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश दिनांक 15/9/15 में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदकों पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने संबंधी सीमा तक दिए गए निर्देश विलोपित किए जाते हैं तथा शेष आदेश स्थिर रखते हुए आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके द्वारा शासकीय नाले की 0.02 हैक्टर भूमि पर बोल्डर पत्थर डालकर बनाए गए कच्चे रास्ता/अतिक्रमण को हटायें तहसीलदार को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे उक्त अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित करें । निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । सदस्य	